

प.नं. 50/3
मु.नं. 19
कि.नं. 25/

कुल किट



प्रतिवादीगण

**दीर्घा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री**

दिनांक :- 09/04/2026

वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र पटीर अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत खाता विभाजन कर राज. का. अधि. की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि -

क. वादी को प्राप्त भूमि:-तहसील पीलीबंगा के चक 1 एलबीएम के खाता सं. 40/38 के प.नं. 58/364 (20) किला नं. 3/.127 (किला नं. 4 के चिपती), 4 ता 7, 8/.127 (किला नं. 7 के चिपती), 13/.127 (किला नं. 14 के चिपती), 14 ता 17, 18/.127 (किला नं. 17 के चिपती), 23/0.094 (किला नं. 24 के चिपती), 24/.165, 25/.176 की 2.967 हैक्. कमांड खातेदारी।

ख. प्रतिवादी सं.1 को प्राप्त भूमि:-तहसील पीलीबंगा के चक 1 एलबीएम के खाता सं. 40/38 के प.नं. 58/364 (20) किला नं. 1, 2, 3/.126 (किला नं. 2 के चिपती), 8/.126 (किला नं. 9 के चिपती), 9 ता 12, 13/.126 (किला नं. 12 के चिपती), 18/.126 (किला नं. 19 के चिपती), 19, 20, 21/.202, 22/1.165, 23/0.071 (किला नं. 22 के चिपती) की 2.966 हैक्. कमांड खातेदारी।

ग. प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त भूमि:-तहसील पीलीबंगा के चक 1 एलबीएम के खाता सं. 40/38 के प.नं. 58/363 (19) किला नं. 25/1/.063 की 0.063 हैक्.

3
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 09/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(प्रमोद मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा